

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:—263/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा:— 88, 53 आर.टी.ए.

लीलाधर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—: वादी

बनाम्

1. बृजमोहन पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. महेन्द्र कुमार (पुत्र बादू पुत्री खेमाराम) पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी चक 7 डीबीएल मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. संतलाल (पुत्र बादू पुत्री खेमाराम) पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी चक 7 डीबीएल मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रोशनी पत्नी कुंदन पुत्री बादू पुत्री खेमाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. विद्या पत्नी बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. महावीर प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. शकुन्तला पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. सुमन पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी श्यामसुंदर जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. पार्वती पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. हनुमान (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. भूपराम (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. बलवंत (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. जमना पुत्री हरीराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी ततारसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. कमला पुत्री मनफूलराम पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. खेतपाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
19. धर्मपाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
20. गिरदावरी पुत्री सुल्तान पत्नी बलवंतराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
21. शांतिदेवी पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
22. गुरदेव पुत्र अमर सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
23. पप्पूराम पुत्र छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
24. भगवान कौर पत्नी नत्था सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
25. राजकुमार पुत्र गुरदेव जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
26. लालचंद पुत्र छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
27. सुखपाल पुत्र गुरदेव जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
28. अनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

29. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
30. आत्माराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
31. गुड्डी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
32. हरबंस पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
33. बजरंगलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
34. सुमन पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
35. कृष्णा पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी भूपेन्द्र जाति जाट निवासी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
36. मन्जू पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
37. कंचन पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
38. कुलदीप पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
39. गुड्डी पुत्री रामजस पत्नी बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
40. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
41. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री मदन लाल गोदारा – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भवानी सिंह निर्वाण – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 27, 30 ता 39
3. श्री राजेश कुमार छीम्पा – अधिवक्ता प्रतिवादी सं 28, 29
4. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 41

–:निर्णय:–

दिनांक

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 37 की संयुक्त खाता में निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है :-

क- चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/191 (4) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6, 7, 14 से 17, 22 से 25, पत्थर नंबर 125/192 (28) किला नंबर 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 7.337 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 2.079 हैक्टेयर।

ख- चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 6, 7, 8, 13 से 18, 23 से 25, पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 3/1/0.215, 3/2/0.025, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 7, 8, पत्थर नंबर 122/199 (39) किला नंबर 11, 12, 19 ता 22, पत्थर नंबर 122/197 (40) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038 कुल तादादी 6.325 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन में से वादी का हिस्सा 1.602 हैक्टेयर।

ग- चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 43/41 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 6, 13 से 15, 18 कुल 1.265 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 0.421 हैक्टेयर।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पड़दादा ईशरराम के पांच पुत्र सुखराम, सुल्तान, जैसाराम, मनफूल व खेमराम थे। सुखराम के एक पुत्र वादी के पिता इन्द्राज थे जिनका देहान्त हो चुका है। ईशरराम के अन्य पुत्र भी फौत हो चुके है जिनमें सुलतान के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 18 से 21, खेमराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 है। जैसाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 से 12 है। मनफूल के दो वारिसान उनकी दो पुत्रिया जीवणी व कमला है जिसमें जीवणी का देहान्त हो चुका है, जीवणी के वारिस प्रतिवादीगण संख्या 13 से 16 है व प्रतिवादी संख्या 17 है।

यह कि वादपत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि दर्ज है व वर्तमान राजस्व अभिलेख में हिस्साकस्सी गलत दर्ज चली आ रही है व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 21 के पूर्वजो जैसाराम, खेमाराम, मनफूल व सुल्तान द्वारा अपने हक व हिस्सा की समस्त कृषि भूमि का बेचान किया हुआ है लेकिन राजस्व अभिलेख में उनका नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने कब्जा काश्त की भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घरू बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि है :-

(1)– वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

क– चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076–2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 11 ता 13 कुल 0.759 हैक्टेयर

ख– चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077–2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 17,18, 23 से 25 कुल 1.265 हैक्टेयर।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076–2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 8 से 10 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077–2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 3/1/0.215, 3/2/0.025, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 7, 8 कुल 1.265 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन।

(3) प्रतिवादी संख्या 2 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076–2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 1 से 3 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 43/41 जमाबंदी संवत् 2077–2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 6, 13 से 15, 18 कुल 1.265 हैक्टेयर

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को अच्छी मंदी के हिसाब से घरू विभाजन में प्राप्त हुई है व घरू बंटवारा अनुसार ही वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन मुताबिक बंटवारा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज नहीं होने तथा उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण हमेशा रकमराज व सीव, बट का तनाजा बना रहता है व इस कारण वादी के हक व हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वादी वादपत्र की धारा 4 (क) व (ख) में वर्णितानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर इसी कदर खाता तकसीम करवाने का अधिकारी व दावेदार है तथा चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 43/41 सम्वत् 2077 से 2080 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने व चक 10 एम.एम.के. के खाता संख्या 3/2 सम्वत् 2076 से 2079 व चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 42/60 सम्वत् 2077 से 2080 में प्रतिवादी संख्या 3 से 21 के पूर्वज खेमाराम, मनफूल, सुल्तान व जैसा का नाम भी कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि की घोषणा करवाकर खाता तकसीम करवा लेवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 21 परिवार के सदस्य होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 21 से 39 सहखातेदार होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 40 के यह वादपत्र में वर्णित भूमि अधिभारित होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 41 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

क– कि घोषणा फरमाई जावें कि वादी चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076–2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 11 ता 13 कुल 0.759 हैक्टेयर एवं चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077–2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 17,18, 23 से 25 कुल 1.265 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है व मुताबिक घोषणा खाता तकसीम किया जाकर अलग रकमराज कायम की जावे।

ख– कि चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 43/41 सम्वत् 2077 से 2080 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व चक 10 एम.एम.के. के खाता संख्या 3/2 सम्वत्

2076 से 2079 व चक 12 एम.एम.के. के खाता संख्या 42/60 सम्वत् 2077 से 2080 में प्रतिवादी संख्या 3 से 21 के पूर्वज खेमाराम, मनफूल, सुल्तान व जैसा का नाम कलमजन फरमाया जावे।

≈ वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 27, 30 ता 39 की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह निर्वाण ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी सं. 1, 2, 22 ता 27, 28, 29, 30, 31, 38 की तरफ से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 की तरफ से जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकन किया गया है कि हमारे नाना खेमाराम का प्रश्नगत भूमि से नाम कलमजन करने पर आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 6 ता 12 ने जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं. 6 के ससुर व प्रतिवादी सं. 7 ता 12 के दादा जैसा का प्रश्नगत भूमि हिस्सा चला आ रहा है जबकि उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है। प्रतिवादी सं. 13 ता 17 ने जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं. 13 ता 16 के नाना व प्रतिवादी सं. 17 के पिता मनफूल का प्रश्नगत भूमि हिस्सा चला आ रहा है जबकि उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है। प्रतिवादी सं. 18 ता 21 ने जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं. 18 ता 20 के पिता व प्रतिवादी सं. 21 के पति सुल्तान का प्रश्नगत भूमि हिस्सा चला आ रहा है जबकि उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है। प्रतिवादी सं. 32 ता 37 ने जवाब पेश किया जिसमें अंकन किया कि हमने हमारा हिस्सा प्रतिवादी सं. 31 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। प्रतिवादी सं. 39 ने जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि मेरा नाम उक्त खाते मे गलत चला आ रहा है नाम कलमजन करने पर आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 28, 29 की ओर से अधिवक्ता राजेश छिम्पा ने वकालतनामा व जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। वादी पक्ष द्वारा शामिल पत्रावली समस्त काउंटर क्लेमों का जवाबुल जवाब पेश नहीं करना चाहा, इसलिए जवाबुल जवाब बंद किया गया। वादी लीलाधर ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियत बहस पर रखी गई।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी के वाद पत्र व जवाब प्रतिदावा में परस्पर विरोधाभास नहीं पाया गया। इसलिए वाद वादीगण व प्रतिदावे स्वीकार किये जाकर वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण एवं जवाब प्रतिदावे निम्न प्रकार से निर्णित किये जाकर डिक्री किया जाता है कि:-

(1) वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 11 ता 13 कुल 0.759 हैक्टेयर

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 17,18, 23 से 25 कुल 1.265 हैक्टेयर।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 8 से 10 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 3/1/0.215, 3/2/0.025, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 7, 8 कुल 1.265 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन।

(3) प्रतिवादी संख्या 2 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 1 से 3 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 43/41 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 6, 13 से 15, 18 कुल 1.265 हैक्टेयर।

(4) प्रतिवादी संख्या 22 (1.265 है.), 25 (0.506 है.) व 27 (0.506 है.) को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी सम्वति 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 7, 8, 13, 14, 16, पत्थर नंबर 122/196 (39) किला नंबर 11, 12, 19, पत्थर नंबर 122/197 (40) किला नंबर 2/1, 2/2 कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर।

(5) प्रतिवादी संख्या 23, 26 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी सम्बन्धि 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 6, 15 कुल 0.506 हैक्टेयर एवं पत्थर नंबर 122/196 (39) किला नंबर 21/0.253 व पत्थर नंबर 122/197 (40) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038 कुल 0.506 हैक्टेयर कुल तादादी 1.012 हैक्टेयर।

(6) प्रतिवादी संख्या 24 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी सम्बन्धि 2077-2080 के पत्थर नंबर 122/196 (39) किला नंबर 20 व 22 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी।

(7) प्रतिवादी संख्या 28, 29 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/191 (4) किला नंबर 5/1/.228, 5/2/0.025, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 22 ता 25, कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय गै.मुमकिन।

(8) प्रतिवादी संख्या 30, 38 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/192 (8) किला नंबर 13/0.253, 14/0.253 व 15 में 0.201 हैक्टेयर कुल 0.707 हैक्टेयर नहरी बहिस्सा बराबर।

(9) प्रतिवादी संख्या 31 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/192 (8) किला नंबर 3 ता 8, 14/0.052 कुल 1.570 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन खाला। क्रियात्मक आदेश की दफा 1 ता 9 अंकित काश्तकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, इसी अनुसार खाता अलग अलग कर, रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। चक 12 एमएमके खाता सं. 43/41 में वादी व प्रतिवादी सं. 1, चक 10 एमएमके खाता सं. 3/2 व चक 12 एमएमके खाता सं. 42/60 में प्रतिवादी सं. 3 ता 21 के पूर्वज खातेदार खेमराम, मनफूल, सुल्तान व जैसा का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिवादी सं. 23 रमेश कुमार उर्फ पप्पूराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो, नियमानुसार गणना कर तहसीलदार हनुमानगढ़ वसूल करना सुनिश्चित करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन अथवा न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, खुले इजलास सुनाया गया।

नोट:- प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत ही निर्णय की पालना की जावे।

(दिव्या)RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- (दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-263/2022

लीलाधर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—: वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. महेन्द्र कुमार (पुत्र बादू पुत्री खेमाराम) पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी चक 7 डीबीएल मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. संतलाल (पुत्र बादू पुत्री खेमाराम) पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी चक 7 डीबीएल मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रोशनी पत्नी कुंदन पुत्री बादू पुत्री खेमाराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. विद्या पत्नी बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. महावीर प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र जैसा जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. शकुन्तला पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. सुमन पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी श्यामसुंदर जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. पार्वती पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. हनुमान (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. भूपराम (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. बलवंत (पुत्र जीवणी पुत्री मनफूल) पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. जमना पुत्री हरीराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी ततारसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. कमला पुत्री मनफूलराम पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. खेतपाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
19. धर्मपाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
20. गिरदावरी पुत्री सुल्तान पत्नी बलवंतराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
21. शांतिदेवी पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी 3 केजीडी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
22. गुरदेव पुत्र अमर सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
23. पप्पूराम पुत्र छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
24. भगवान कौर पत्नी नत्था सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
25. राजकुमार पुत्र गुरदेव जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
26. लालचंद पुत्र छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
27. सुखपाल पुत्र गुरदेव जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

28. अनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
29. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
30. आत्माराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
31. गुड्डी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
32. हरबंस पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
33. बजरंगलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
34. सुमन पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी शोरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
35. कृष्णा पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी भूपेन्द्र जाति जाट निवासी शोरेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
36. मन्जू पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
37. कंचन पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
38. कुलदीप पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
39. गुड्डी पुत्री रामजस पत्नी बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
40. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
41. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री मदन लाल गोदारा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 27, 30 ता 39 एवं श्री राजेश कुमार छीम्पा वकील प्रतिवादीगण सं. 28, 29 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:-

(1) वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 11 ता 13 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 17,18, 23 से 25 कुल 1.265 हैक्टेयर।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 8 से 10 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 3/1/0.215, 3/2/0.025, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038, 7, 8 कुल 1.265 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन।

(3) प्रतिवादी संख्या 2 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी संवत् 2076-2079 के पत्थर नंबर 126/192 (7) किला नंबर 1 से 3 कुल 0.759 हैक्टेयर।

चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 43/41 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/197 (41) किला नंबर 6, 13 से 15, 18 कुल 1.265 हैक्टेयर।

(4) प्रतिवादी संख्या 22 (1.265 है.), 25 (0.506 है.) व 27 (0.506 है.) को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :- चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 7, 8, 13, 14, 16, पत्थर नंबर 122/196 (39) किला नंबर 11, 12, 19, पत्थर नंबर 122/197 (40) किला नंबर 2/1, 2/2 कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर।

(5) प्रतिवादी संख्या 23 एवं 26 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी संवत् 2077-2080 के पत्थर नंबर 121/196 (38) किला नंबर 6, 15 कुल 0.506 हैक्टेयर एवं पत्थर नंबर 122/196 (39)

किला नंबर 21/0.253 व पत्थर नंबर 122/197 (40) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038 कुल 0.506 हैक्टेयर कुल तादादी 1.012 हैक्टेयर।

(6) प्रतिवादी संख्या 24 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 12 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 42/7 जमाबंदी सम्बन्धि 2077-2080 के पत्थर नंबर 122/196 (39) किला नंबर 20 व 22 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी।

(7) प्रतिवादी संख्या 28, 29 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/191 (4) किला नंबर 5/1/.228, 5/2/0.025, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 22 ता 25, कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय गै.मुमकिन।

(8) प्रतिवादी संख्या 30, 38 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/192 (8) किला नंबर 13/0.253, 14/0.253 व 15 में 0.201 हैक्टेयर कुल 0.707 हैक्टेयर नहरी बहिस्सा बराबर।

(9) प्रतिवादी संख्या 31 को काउंटर क्लेम में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 10 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 3/2 जमाबंदी सम्बन्धि 2076-2079 के पत्थर नंबर 125/192 (8) किला नंबर 3 ता 8, 14/0.052 कुल 1.570 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन खाला। क्रियात्मक आदेश की दफा 1 ता 9 अंकित काश्तकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, इसी अनुसार खाता अलग अलग कर, रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। चक 12 एमएमके खाता सं. 43/41 में वादी व प्रतिवादी सं. 1, चक 10 एमएमके खाता सं. 3/2 व चक 12 एमएमके खाता सं. 42/60 में प्रतिवादी सं. 3 ता 21 के पूर्वज खातेदार खेमराम, मनफूल, सुल्तान व जैसा का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिवादी सं. 23 रमेश कुमार उर्फ पप्पूराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो, नियमानुसार गणना कर तहसीलदार हनुमानगढ़ वसूल करना सुनिश्चित करेंगे।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज xxx नल xxx मुब्लिक xxx निल xxx बाबत् xxx निल xxx खर्चा मुकदमें के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक xxx अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रित आराजी रहन हो तो, रहन मुक्त होने के पश्चात् डिक्री का निष्पादन किया जावे अन्यथा नहीं।

(दिव्या)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़